भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

CX 644592

"मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 29 के तहत प्रतिलिपि।

"संस्था नव कल्याण एसोसियेशन समिति पंजीयन क्र. 21086 दिनांक 03/12/2019 के नाम से दिनांक 10/11/2025 को प्रस्तुत मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 27 की जानकारी की प्रतिलिपि हेतु धारा 29 के तहत दिनांक 10/11/2025 को आवेदक श्री जितेन्द्र अग्रवाल के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया। धारा 27 के तहत प्रस्तुत शासी निकाय की सूची की वैधानिकता के संबंध में प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी स्वयं उत्तरदायी हैं। कार्यालय द्वारा धारा 29 के तहत केवल प्रतिलिपि जारी की गई है। धारा 29 के तहत जारी प्रतिलिपि पदाधिकारियों की वैधानिकता के संबंध में प्रमाण-पत्र/आदेश नहीं है।

20/11/2025

S. K. Tiwari
Assistant Registrar
Firms & Society
Jabalpur Division, Jabalpur

1439/2025
11/11/2025

प्रारूप क्रमांक 1	
(देखिये नियम 3)	
समितियों के पंजियन हेतु ज्ञापन-पत्र	
आवेदन क्रमांक : S6420505873611032019	अनुमोदन दिनाँक : 17 Nov 2019

1.	**सोसायटी का नाम** नव कल्याण एसोसियेशन **होगा।**
2.	**सोसायटी का प्रधान कार्यालय मकान क्रमांक** राजेश पिछोड़े, ग्राम क़ायदि, तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट मध्यप्रदेश 481331 **तहसील** Warasivani **जिला** Balaghat **मध्य प्रदेश में स्थित होगा।** **सोसायटी का संपर्क नंबर (अध्यक्ष/सचिव)** 7697778777 **ईमेल आईडी** bnklawsolution@gmail.com
3.	**सोसायटी के उद्देश्य निम्नानुसार होंगे:-**

1	अपने अपने वार्ड एवं पंचायत की सड़क ,पानी बिजली एवं स्वच्छता की समस्याओ को पंचायत या वार्ड को अवगत कराना तथा सड़क, पानी, बिजली, स्वच्छता आदि के लिए संचालित योजनाओं में, संस्था के सदस्यों द्वारा सहयोग प्रदान करना
2	संस्था के सदस्यो के मध्य व्यवसायिक एवं पेशेवर विषय द्वारा, एक दूसरे को सहयोग पहुंचना तथा आपसी सहयोग से विकास करना
3	नशा कारक पदार्थो के सार्वजनिक विक्रय एवं उपयोग में राष्ट्रीय पाबन्दी तथा प्रतिबन्ध हेतु कार्य करना
4	नागरिको के स्वास्थय विकास हेतु कार्य करना
5	नागरिको की शिक्षा के सम्बन्ध में सरकारी सहयोग हेतु कार्य करना
6	राष्ट्रिय स्तर पर, सभी प्रकार का आरक्षण समाप्त करने हेतु प्रयास करना
7	जनसँख्या वृद्धि पर नियंत्रण करने हेतु प्रयास करना
8	जनगणना का आधार जातिगत ना होकर आर्थिक आधार पर किये जाने हेतु कार्य करना
9	बेरोजगारी कम करने हेतु प्रयास करना
10	जातिवाद से ऊपर राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए कार्य करना
11	सबके लिए समान कानून व्यवस्था हेतु कार्य करना
12	शासकीय आर्थिक योजनाओं के क्रियान्वयन का आधार केवल आर्थिक अधार पर किये जाने हेतु प्रयास करना
13	स्वच्छता के सम्बन्ध में कार्य करना
14	परिवहन नियम कानून सड़क निर्माण एवं रख रखाव के विषय में कार्य करना
15	वाहनों के परिचालन समय सिमा एवं हेलमेट नियम के सम्बन्ध में प्रयास करना
16	महंगाई के सम्बन्ध में कार्य करना
17	शासकीय नौकरियों में पदस्थापना के लिए सिविल सेवा परीक्षा के विषय पर कार्य करना
18	6 वी से 12वी कक्षा तक प्रेक्टिकल शिक्षा हेतु कार्य करना

रजिस्ट्रेशन नम्बर 21086
रजिस्ट्रेशन का दिनांक 3/12/19
असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार

19	स्कूलों में व्यवहारिक शिक्षा का विषय प्रारम्भ करने हेतु कार्य करना
20	5वी से 12वी कक्षा तक स्कूलों की परीक्षा व्यवस्था कैसी हो इस विषय पर प्रयास करना, राष्ट्रीय आय के श्रोतो के नियमो में परिवर्तन के विषय मेंप्रयास करना,राष्ट्रीय आय के श्रोतो के नियमो में परिवर्तन के विषय में कार्य करना
21	आयकर दाताओ को इनके द्वारा 60 वर्ष की उम्र तक जमा की गई कुल आयकर राशि का 10 प्रतिशत इनके 60 वर्ष की उम्र पार करने के बाद एक मुश्त या किस्तों में वापस दिए जाने हेतु प्रयास करना
22	भ्रष्टाचार में नियंत्रण के लिए प्रयास करना
23	स्थानीय एवं राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कार्य करना, कृषि उत्पादों के भंडार गृहो का विकेन्द्रीकरण करने हेतु प्रयास करना
24	छोटे एवं मध्यम कृषको के लिए प्राकृतिक आपदा कृषि बीमा के सम्बन्ध में प्रयास करना
25	खिलाड़ियों एवं खेलो के विकास के लिए कार्य करना
26	व्यवस्थापिका को और अधिक सशक्त बनाने हेतु कार्य करना

4.	4. सोसायटी के कामकाज का प्रबंध सोसायटी के विनियमों द्वारा गवर्नर संचालक परिषद समिति या शासी निकाय को सौंपा गया है, जिनके नाम, पते तथा उपजीविका नीचे विनिर्विष्ट की गई हैः-

रजिस्ट्रेशन नम्बर 21086
रजिस्ट्रेशन का दिनांक 3/12/19

अस्सिस्टेन्ट रजिस्ट्रार

क्रमांक	नाम	पिता/पति का नाम	पद	पूर्ण पता	व्यवसाय
1	जितेन्द्र अग्रवाल	बृजभूषण लाल अग्रवाल	अध्यक्ष	सी ४०२, डॉल्फिन प्लाजा रेसिडेंसी दलदल सिवनी रोड मोवा रायप, , Raipur, Chhattisgarh	कृषक
2	राजेश पिछोड़े	आनंद पिछोडे	उपाध्यक्ष	ग्राम कयादी,, तहसील वारासिवनी बालाघाट, Warasivani, Balaghat, Madhya Pradesh	व्यवसायी
3	तरुण चतुर्वेदी	भुवन लाल	सचिव	कंतेली, मुंगेली, , Bilaspur, Chhattisgarh	व्यवसायी
4	सुनील कुमार यादव	भारत यादव	कोषाध्यक्ष	मकान न २९६ ग्राम सिसदेवरी पलारी, बलोदाबाजार, , Raipur, Chhattisgarh	कृषक
5	अब्दुल हामिद	अब्दुल रहीम	संयुक्त सचिव	नया कृष्णा मंदिर के पास श्याम नगर, रायपुर, , Raipur, Chhattisgarh	व्यवसायी
6	डॉ गोपाल प्रसाद सोनी	राघव राम	सदस्य	सोनीपारा,, रायपुर, , Raipur, Chhattisgarh	डाक्टर
7	मोहम्मद अफजल खान	अब्दुल अजीज खान	सदस्य	छोटापारा मस्जिद के पीछे, रायपुर, , Raipur, Chhattisgarh	व्यवसायी
8	तापस डे	बटाकृष्ण डे	सदस्य	मकान न २३/२०३८, मंडी गेट,, रायपुर, , Raipur, Chhattisgarh	व्यवसायी
9	मधुसूदन शुक्ला	रमेश कुमार शुक्ला	सदस्य	ठाकुरपारा सिवनी वार्ड न 1, रायपुर, , Raipur, Chhattisgarh	अधिवक्ता
10	प्रसनजीत राय	कन्हैया लाल राय	सदस्य	पी २६, महावीर नगर शिव मंदिर के पास, न्यू पुरेना रायपुर, , Raipur, Chhattisgarh	व्यवसायी

पंजीयन क्रमांक 21086
पंजीयन का दिनांक 3/12/19
असिस्टेंट रजिस्ट्रार

5.	समिति के इस ज्ञापन पत्र के साथ समिति के विनियमों की एक प्रमाणित प्रति जैसा कि मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (1973 का 44) की धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन अपेक्षित है, संलग्न है। हम, अनेक व्यक्ति, जिनके नाम और पते लिखे हैं, समिति का निर्माण उपरोक्त ज्ञापन पत्र के अनुसार करने के इच्छुक हैं तथा ज्ञापन-पत्र पर निम्नांकित साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये हैं।

क्रमांक	निर्माणकर्ताओं के नाम, पूर्ण पते, पिता/ पति का नाम सहित	हस्ताक्षर
1	जितेन्द्र अग्रवाल , बृजभूषण लाल अग्रवाल, सी ४०२, डॉल्फिन प्लाजा रेसिडेंसी दलदल सिवनी रोड मोवा रायप, , Raipur, Chhattisgarh	
2	राजेश पिछोड़े , आनंद पिछोडे, ग्राम कयादी,, तहसील वारासिवनी बालाघाट, Warasivani, Balaghat, Madhya Pradesh	
3	तरुण चतुर्वेदी , भुवन लाल, कंतेली, मुंगेली, , Bilaspur, Chhattisgarh	
4	सुनील कुमार यादव , भारत यादव, मकान न २९६ ग्राम सिसदेवरी पलारी, बलोदाबाजार, , Raipur, Chhattisgarh	
5	अब्दुल हामिद , अब्दुल रहीम, नया कृष्णा मंदिर के पास श्याम नगर, रायपुर, , Raipur, Chhattisgarh	
6	डॉ गोपाल प्रसाद सोनी , राघव राम, सोनीपारा,, रायपुर, , Raipur, Chhattisgarh	
7	मोहम्मद अफजल खान , अब्दुल अजीज खान, छोटापारा मस्जिद के पीछे, रायपुर, , Raipur, Chhattisgarh	
8	तापस डे , बटाकृष्ण डे, मकान न २३/२०३८, मंडी गेट,, रायपुर, , Raipur, Chhattisgarh	
9	मधुसूदन शुक्ला , रमेश कुमार शुक्ला, कुरपारा सिवनी वार्ड न 1, रायपुर, , Raipur, Chhattisgarh	
10	प्रसनजीत राय , कन्हैया लाल राय, पी २६, महावीर नगर शिव मंदिर के पास, न्यू पुरेना रायपुर, , Raipur, Chhattisgarh	

(नियम 11 देखिए) 1525/2025 20/11/2025

मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क. 44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन निकाय की सूची की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र।

1. सोसाइटी का नाम और पूरा पता – **नव कल्याण एसोसियेशन**
2. पता – ग्राम कायदी, तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश
3. पंजीयन क्रमांक – 04/21/05/21086/19
4. साधारण निकाय के वार्षिक सम्मिलन की तारीख – 15/08/2025
5. विद्यमान पदाधिकारीयों की सूची – कार्यालय तारीख. 15/08/2025 से 14/08/2030 तक
6. मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्र.44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन

क्र.	नाम	पिता का नाम	पद	पता	व्यवसाय	हस्ताक्षर
1	श्री जितेन्द्र अग्रवाल	स्व. श्री बृजभूषण अग्रवाल	अध्यक्ष	सी–402 डाल्फिन प्लाजा रेसीडेंसी, दलदल सीवनी रोड, मोवा, रायपुर, छत्तीसगढ़	कृषक	
	श्री प्रसन्नजीत रॉय	श्री कन्हैया लाल रॉय	उपाध्यक्ष	प्लाट नं. डी–402, सेक्टर–04, कमल विहार, रायपुर, छत्तीसगढ़	व्यवसायी	
3	श्री रिकेश कुमार साहू	श्री भुनेश्वर साहू	सचिव	वार्ड नं.–07, जुनाडीह, बेंदकुरा, मरौदा, गरियाबंद, छत्तीसगढ़	कृषक	रिकेश कुमार
4	श्री क्रांति कुमार साहू	श्री छोटेलाल साहू	संयुक्त सचिव	वार्ड नं.–12, डीहपारा, बिलारी, जांजगीर–चांपा, छत्तीसगढ़	व्यवसायी	Kranti
5	श्री हरीश कुमार साहू	श्री राजकुमार साहू	कोषाध्यक्ष	वार्ड नं.–01, बजरंग चौक, खोरसी, जांजगीर–चांपा, छत्तीसगढ़	व्यवसायी	Harish Kumar
6	श्री राजेश पिछोड़े	स्व. श्री आनंद पिछोड़े	सदस्य	ग्राम–कायदी, तहसील–वारासिवनी, बालाघाट, मध्यप्रदेश	कृषक	
7	श्री चैनलाल माहूले	श्री यशवंत राव	सदस्य	वार्ड नं.–04, बालाजी नगर, कोसमी, बालाघाट, मध्य प्रदेश	व्यवसायी	
8	श्री दीपक उगले	श्री शंकर राव उगले	सदस्य	मलीपूरा, सालोद, वर्धा, महाराष्ट्र	व्यवसायी	दीपक उगले
9	श्री सुनील कुमार यादव	श्री भारत यादव	सदस्य	मकान नं.–296 ग्राम–सिसवेदरी, पलारी, बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़	कृषक	सुनिल कुमार यादव
10	श्री मधुसूदन शुक्ला	श्री रमेश कुमार शुक्ला	सदस्य	ठाकुरपारा वार्ड नं.–01, सिवनी, रायपुर, छत्तीसगढ़	कृषक	

7. 250801/- रू. की फीस ,चालान क्रमांक SBIN0006159147508112025814921 दिनांक 08/11/2025 के द्वारा जमा कर दी गई है।

"मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 29 के तहत प्रतिलिपि

घोषणा

मैं. जितेन्द्र अग्रवाल पिता स्व. श्री बृजभूषण अग्रवाल आयु 59 वर्ष एक प्राधिकृत के रूप में एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त जानकारी सोसाइटी के अभिलेख पर आधारित होने से तथा हमारी श्रेष्ठतम जानकारी के अनुसार सत्य हैं। सोसाइटी के अभिलेख मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के अधिपत्य में हैं। मैं यह जानता हूँ कि यदि मेरे द्वारा कोई असत्य जानकारी दी जाती हैं, तो मैं उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन दण्ड दायी हो रहूंगा।

Naw Kalyan Association
President

हस्ताक्षर ....
नाम .... अग्रवाल

20/11/2025

S. K. Tiwari
Assistant Registrar
Firms & Society
Jabalpur Division, Jabalpur

सोसाइटी से संबंधित दस्तावेज संलग्न करे

चालान क्रमांक SBIN0006159147523032019l7160

रजिस्ट्रेशन नम्बर 21886
रजिस्ट्रेशन का दिनांक 3/12/19
असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार

नियमावली

पदाधिकारी के पहचान पत्र की जानकारी

पहचान पत्र के लिये Permanent Account Number — पहचान पत्र का क्रमांक CYZPP3564K

पदाधिकारी के पता की जानकारी

पता के लिये Voters Identity card — पते का क्रमांक NGU0800880

Uploaded Niyamali
Uploaded ID Proof
Uploaded Address Proof

साक्षी:- /> हस्ताक्षर :-..................................

साक्षी का नाम :- भुवन लाल साहू

साक्षी का पिता/पति:- श्री हेमलाल साहू

पूर्ण पता :- हेमलाल साहू प्लाट न डी ८ मानसपुरम कालोनी मठपुरैना रायपुर

सत्य-प्रतिलिपि

Sanjay Kumar Tiwari
Assistant Registrar
Firms & Society
Jabalpur Division, Jabalpur

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

CX 644590

ज्ञापन पत्र
पंजीयन क्रमांक 21086
3/12/2019

CANCELLED

Sanjay Kumar Tiwari
Assistant Registrar
Firms & Society
Jabalpur Division, Jabalpur

1439/2025
11/11/2025

पंजीयन क्रमांक 21086
पंजीयन का दिनांक 3/12/19

असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार

नियमावली

1. संस्था का नाम : नव कल्याण एसोसियेशनहोगा ।
2. संस्था का कार्यालय : द्वारा राजेश पिछोड़े, ग्राम कायदी, तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट मध्यप्रदेश
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारतवर्ष रहेगा
4. संस्था का उददेश्य
   1. अपने–अपने वार्ड एवं पंचायत की सडक, पानी, बिजली एवं स्वच्छता की समस्याओं को पंचायत या वार्ड को अवगत कराना तथा सडक, पानी, बिजली, स्वच्छता आदि के लिये संचालित योजनाओं मे, संस्थाके सदस्यों द्वारा सहयोग प्रदान करना।
   2. संस्था के सदस्यों के मध्य व्यवसायिक एवं पेशेवर विषय द्वारा, एक दूसरे कोसहयोग पहुंचाना तथा आपसी सहयोग से विकास करना।
   3. नशा कारक पदार्थो के सार्वजनिक विकय, उपयोग में राष्ट्रीयपाबन्दी तथा प्रतिबंध हेतु कार्यकरना।
   4. नागरिको के स्वास्थ्य विकास हेतु कार्यकरना।
   5. नगरिको की शिक्षा के संबंध में सरकारी सहयोग हेतु कार्यकरना।
   6. राष्ट्रीय स्तर पर, सभी प्रकार का आरक्षण समाप्त करने हेतु प्रयास करना।
   7. जनसंख्या वृद्धि पर, नियंत्रण करने हेतु प्रयास करना।
   8. जनगणना का आधार जातिगत ना होकर, आर्थिक आधारपरकिये जाने हेतु, कार्य करना।
   9. बेरोजगारी कम करने हेतु प्रयास करना।
   10. जातिवाद से ऊपर राष्ट्रवाद को बढावा देने के लिए कार्यकरना।
   11. सबके लिये समान कानून व्यवस्था हेतु कार्यकरना
   12. शासकीय आर्थिक योजनाओं के कियान्वयन का आधार, केवल आर्थिकआधारपर किये जाने हेतु प्रयास करना।
   13. स्वच्छता के संबंध में कार्यकरना।

सुनिल कुमार यादव

रजिस्ट्रेशन नम्बर 21086
रजिस्ट्रेशन का दिनांक 3/12/19
असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार

14. परिवहन नियम कानून, सड़क निर्माण एवं रख रखाव के विषय में, कार्यकरना।

15. वाहनों के परिचालन समय सीमा एवं हेलमेट नियम के संबंध मे प्रयास करना।

16. महंगाई के संबंध में कार्यकरना।

17. शासकीय नौकरियों में पदस्थपना के लिये, सिविल सेवा परीक्षा के विषय पर कार्य करना।

18. 6वी से 12वी कक्षा तक, प्रेक्टिकल शिक्षा हेतु कार्य करना।

19. स्कूलों में व्यवहारिक शिक्षा का विषय प्रारंभ करने हेतुकार्य करना।

20. 5वी से 12वी कक्षा तक, स्कूलों की परीक्षा व्यवस्था कैसी हो, इस विषय पर प्रयास करना, राष्ट्रीय आय के श्रोतों के नियमों में, परिवर्तन के विषय में, कार्य करना।

21. आयकर दाताओं को इनके द्वारा 60 वर्ष की उम्र तक जमा की गई कुल आयकर राशि का 10 प्रतिशत, इनके 60 वर्ष की उम्र पार करने के बाद, एक मुश्त या किस्तों में वापस दिये जाने हेतु प्रयास करना।

22. भ्रष्टाचार मे नियंत्रण के लिये प्रयास करना।

23. स्थानीय एवं राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिये कार्य करना, कृषि उत्पादों के भंडार गृहों का विकेन्द्रीकरण करने हेतु प्रयास करना।

24. छोटे एवं मध्यम कृषकों के लिये, प्राकृतिक आपदा कृषि बीमा के संबंध में प्रयास करना।

25. खिलाडियों एवं खेलो के विकास के लिये कार्य करना।

26. व्यवस्थापिका को और अधिक सशक्त बनाने हेतु कार्य करना।

Faizul Karim   सुनिल कुमार यादव

5. सदस्यता–संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे–

1. आजीवन सदस्यता एवं संरक्षक सदस्य– ये वे सदस्य होंगे जिन्होंने संस्था के निर्माण में अपना नाम प्रस्तावित किये हैं तथा ये सदस्य संस्था के आवश्यक पदों को प्राप्त करेंगें। जो अनिवार्य रूप से 1200/–(बारह सौ) रू. एकमुश्त संस्था के खाते में प्रतिवर्ष जमा करायेंगे। इन्हें मतदान का अधिकार होगा।
2. साधारण सदस्य– साधारण सदस्यों से सदस्यता प्राप्ति के लिए 1200 रूपये का शुल्क प्रतिवर्ष लिया जायेगा। इन्हें मतदान देने का अधिकार होगा।
3. सम्मानीय सदस्य–संस्था की प्रबंधकारिणी, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये, जो भी वे उचित समझे, सम्मानीय सदस्य बना सकती है। ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं। परन्तु इनको मत देने का अधिकार नही होगा।
4. सामान्य सदस्य– ये वार्ड या पंचायत के संयोजक सदस्यों द्वारा सदस्यता प्राप्त करेगें। इन्हें मतदान का अधिकार नहीं रहेगा।

6. सामान्य सदस्यता की प्राप्ति–

प्रत्येक नागरिक, जो संस्था का सदस्य बनने के इच्छुक हैं, इसके लिये इन्हें, संस्था द्वारा निर्धारित प्रारूप मे आवेदन पत्र, संस्था के केवल लिखित उद्देश्यों के लिये, संस्था के नियमों एवं शर्तो का पालन करने के शपथ के साथ अपने ही वार्ड या पंचायत के पूर्व के, किसी सामान्य सदस्य के द्वारा परिचय के साथ, वार्ड या पंचायत के संयोजक सदस्य के समक्ष, प्रस्तुत करते हैं, तो संस्था की सामान्य सदस्यता प्राप्त कर सकते है। ऐसे आवेदन पत्र को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार, उसके वार्ड या पंचायत के संयोजक सदस्य को होगा किसी वार्ड या पंचायत का नागरिक, अपने ही वार्ड या पंचायत मे, संस्था के सामान्य सदस्य बन सकते है। अन्य वार्ड या पंचायत में नहीं।

7. सदस्यता प्राप्ति हेतु योग्यता–

1. जिनकी आयु 18 वर्ष से कम नही हो।
2. भारतीय नागरिक हो।
3. उसका सोसायटी के प्रति विश्वास हो तथा वह उनका पालन करता हो।
4. जो, जातिगत भेदभाव नहीं रखता हो।
5. वह सच्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो।

प्रस्तुतीकरण क्रमांक 21086
प्रस्तुतीकरण का दिनांक 3/12/19
असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार

8. सदस्यता की समाप्ति–

1. मृत्यु हो जाने पर।
2. पागल हो जाने पर ।
3. नियम 5 के अनुसार सोसायटी को देय सदस्यता की रकम जमा करने में असफल रहने पर।
4. त्याग पत्र पर यदि स्वीकृत हो जाने पर।
5. नैतिक अधमता से संबंधित किसी अन्य कारण के सिद्ध हो जाने पर और प्रबंधकारिणी समिती द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाकर निष्काषित करने पर तथा ऐसा निर्णय संबंधित सदस्य को लिखित में संसूचित किया जाना चाहिए।

Farjun Kumar   सुनिल कुमार यादव

रजिस्ट्रेशन नम्बर 21086.....
रजिस्ट्रेशन का दिनांक 3/12/19

असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार

9. सदस्यता पंजी–

इसमें निम्नकित उल्लेख होगा–

1. संस्था के प्रत्येक सदस्य का नाम, पता, उम्र, व्यवसाय तथा हस्ताक्षर तारीख सहित।
2. सदस्यों के प्रवेश कि तारीख, रसीद कमांक सहित।
3. सदस्यो की सदस्यता समाप्त की तारीख।

10. अ. साधारण सभा.: साधारण सभा मे नियम 5 मे दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होगे । साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी । परन्तु वर्ष में एक बार बैठक माह जुलाई अनिवार्य होगी । बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी । बैठक की कारण 3/5 सदस्यो का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी ।उसमें सस्था के पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन किया जावेगा यदि संबधित आम सभा का आयोजन किसी समय नही किया जाता है तो पंजीयक को अधिकार होगा कि यह संस्था की आम सभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन मे एवं पदाधिकारियों का विधिवत् चुनाव कराया जावेगा।

ब प्रबन्धकारिणी सभा: प्रबन्धकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेन्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी । बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी ।यदि बैठक का कोरम पूर्ण नही होता है तो बैठक एक घण्टे के लिये स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्त न होगी ।

स.विशेष आमसभा : यदि कम से कम कुल संख्या ;कुल सदस्यों की संख्या काद्ध के 3/5 सदस्यों द्धारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिये साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी एक विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक का संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा । पंजीयक को इस संबंध मे आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति का परामर्श देने का अधिकार होगा।

11. साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य :

अ संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना ।
ब. संस्था की स्थाई निधि व संपत्ति की ठीक व्यवस्था करना ।
स. आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना।
द. अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो ।
ई. बजट का अनुमोदन ।

Farzan Kumar   सुनिल कुमार यादव

रजिस्ट्रेशन नम्बर 2108/6
रजिस्ट्रेशन का दिनांक 3/12/19
असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार

12. प्रबन्धकारिणी का गठनः ट्रस्टीज यदि कोई हो समिति के पदेन समिति के पदेन सदस्य रहेगें । नियम 5 (ब)(स) दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हों बैठक मे बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यो का निर्वाचन होगा ।

अध्यक्ष–1 उपाध्यक्ष–1, सचिव–1, कोषाध्यक्ष–1, सहसचिव–1, सदस्य–5

सचिव-1 , कोषाध्यक्ष-1, सहसचिव-1, सदस्य-5

13. प्रबंन्ध समिति का कार्यकाल : प्रवन्ध समिति का कार्यकाल पॉच वर्ष होगा समिति का यथेष्टा कारण होने पर समय तक जब तक कि नई प्रबन्धकारिणी समिति का निर्णय नियमानुसार या अन्य कारणों से नही हो जाता करती रहेगी किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नही होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

14. प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य :

1) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।

2) पिछले वर्ष का आय व्यय की लेखा पूर्णत: परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रति वर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

3) समिति एव उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना।संस्था की चल-अचल संपत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।

4) कर्मचारियो शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।

5) अन्य आवश्यक कार्य करना जो साधारण सभा द्वारा समय--समय पर सौपें जाए।

6) संस्था की समस्त चल –अचल संपत्ति कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी ।

7) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर संपत्ति रजिस्टार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय व्दारा या अन्यथा अर्जित या आन्तरित नही की जाएगी ।

8) विशेष बैठक आमन्त्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने का प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधरण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी । साधरण सभा मे कुल सदस्यों 2/3 मतों से संशोधित पारित होने का उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जायेगा ।

Forman Kumar

सुनिल कुमार यादव

राजस्थापन नम्बर 21086
रजिस्ट्रीकरण का दिनांक 3/12/19
असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार

15. अध्यक्ष के अधिकार : अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबन्धकारिणी समिति की समस्त बैठको की अध्यक्षता करेगा तथा सचिवद्वारा साधारण सभा मे से प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों मे निर्णयात्मक होगा।

16. उपाध्यक्ष के अधिकार : अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रवंधकारिणी की समस्त वैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा ।

17. सचिव के अधिकार : –

1 साधारण सभा एवं प्रंवधकारिणी की वैठक समय–समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना ।

2 समिति की आय –व्यय की लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करने साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना ।

3 समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना। उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रवंधकारिणी को देना।

4 सचिव को किसी कार्य के लिये एक समय में रूपये 15,000/–व्यय करना का अधिकार होगा।

सह सचिव के अधिकार :–सचिव दवारा सह सचिव को जो भी कार्य सौंपा जायेगा वह उसका निर्वाह करेगा तथा सचिव के अधीन कार्य करेगा।

18. कोषाध्यक्ष के अधिकार :समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाव रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना ।

19. बैक खाता– संस्था की समस्त निधि राष्ट्रीयकृत, अनुसूचित बैंक, सहकारी बैंक या पोस्ट आफिस मे रहेगी । वैंक खाता अध्यक्ष ,सचिवऔर कोषाध्यक्ष के संयुक्त नाम से होगा। धन का आहरण अध्यक्ष के साथ सचिवया कोषाध्यक्ष किसी एक के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रूपये 5000/– रहेंगे।

20. पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी – अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाइल की जावेगी तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था की परीक्षित लेखा मय–नियत शुल्क के साथ भेजेंगी ।

Fanjun Kumar सुनिल कुमार यादव

राजस्ट्रेशन नम्बर 21086
रजिस्ट्रेशन का दिनांक 3/12/19

असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार

21. संशोधन–संस्था के विधान मे संशोधन सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान मे संशोधन करने के अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाऐं को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा संस्था के विधान में संशोधन हेतु प्रस्ताव मय–नियत शुल्क सहित प्रस्तुत की जायेगी ।

22. विघटन–संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा । विघटन के पश्चात संस्था की चल तथा अचल संपत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार की जावेगी ।

23. सम्पति –संस्था की समस्त चल अचल सम्पति संस्था के नाम से होगी। संस्था की अचल सम्पति स्थावर रजिस्टर फर्म्स एवं सोसायटी की लिखित अनुज्ञा के बिना विकय द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अन्तारित नही की जा सकेगी । एवं उक्त हेतु शुल्क संस्था द्वारा जमा की जायेगी ।

24. पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना– संस्था की पंजीयन नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाया जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं सोसायटी की बैठक बुलाने का अधिकार होगा ।साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा ।

25. विवाद–संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझा नेका अधिकार होगा । इस निश्चित से या निर्णयों से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेगें । रजिस्टार का निर्णय अंतिम व सार्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा ।

Faizul Kumar

सुनिल कुमार यादव

Faizul Kumar

सुनिल कुमार यादव

सत्य–प्रतिलिपि

11/11/2025

Sanjay Kumar Tiwari
Assistant Registrar
Firms & Society
Jabalpur Division, Jabalpur

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

CX 644591

नियमावली
पंजीयन क्रमांक 21086
3/12/2019

CANCELLED

Sanjay Kumar Tiwari
Assistant Registrar
Firms & Society
Jabalpur Division, Jabalpur